न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 48 / 2025

अपीलांट–

1. सरादीन पुत्र भीखाखान
2. अयूबखा पुत्र बच्चू खां
3. हनीफखान पुत्र बच्चू खां
4. धाई पत्नि बच्चू खान जाति मुसलमान निवासी रहमानी नगर, भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट–

1. ईस्माईल पुत्र भीखाखान
2. सहाबुदीन पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी रहमान नगर, भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
3. मदरसा इस्लामिया मिफताहुल उलुम रहमानी नगर शिक्षण संस्थान भोजारिया जरिये अध्यक्ष फारूक पुत्र ईस्माईल जाति मुसलमान निवासी भोजारिया तहसील चौहटन जिला बाड़मेर
4. तहसीलदार चौहटन

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश क्रमांक 76 दिनांक 13.01.2020 जो तहसीलदार चौहटन द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री केसराराम विश्नोई, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री विष्णु चौधरी, अधिवक्ता रेस्पोडेंट सं. 1से3 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 4 प्रर्फोमा पक्षकार

निर्णय

दिनांक : 11.02.2026

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार चौहटन द्वारा ग्राम किफायत नगर पटवार क्षेत्र भोजारिया वर्तमान ग्राम रहमानी नगर पटवार क्षेत्र भोजारिया तहसील चौहटन के खसरा नंबर 142 कुल रकबा [illegible] बीघा भूमि के विभाजन स्वीकृति आदेश दिनांक 13.01.2020 [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

2. प्रस्तुत अपील के [illegible] मौजा किफायत नगर के खसरा नंबर 142 कुल रकबा 275–06 बीघा भूमि के खातेदारान मदरसा [illegible]मिया मिक्ताहुल उलूम रहमानी नगर शिक्षण संस्थान भोजारिया जरिये अध्यक्ष फारूक

जिला कलक्टर, बाड़मेर

पुत्र ईस्माईल कौम मुसलमान सा. भोजारिया, सरादीन इस्माईल पि. भीखाखान, अयूब खान हनीफखान पि. बच्चूखान, धाई पत्नी बच्चू खान, कौम मुसलमान सा. देह खातेदारान ने दिनांक 07.01.2020 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी भोजारिया द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट्स की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1से3 की ओर से उपस्थित अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 03 के संयुक्त खातेदारी खेत खसरा नंबर 142 रकबा 258–07 बीघा सरहद मौजा किफायत नगर पटवार क्षेत्र भोजारिया में आया हुआ है। उतरदाता संख्या 01 से 03 ने अपीलांट्स को वादग्रस्त खेतों का मौके पर कब्जा काश्त व पूर्व आपसी सहमति से किये गये बाहामी बंटवाडा अनुसार विभाजित करने व पक्षकारान का पृथक–पृथक खातेदारी अंकन करने का प्रस्ताव रखा, जिस पर अपीलांट्स ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार बाहामी बंटवाडा करवाने की सहमति दी, जिस पर दोनों पक्षों ने पटवारी हलका से मिलकर विभाजन प्रस्ताव मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार तैयार करने को कहा, जिस पर पटवारी ने मौके पर कब्जा काश्त के अनुसार विभाजन प्रस्ताव व [illegible] तैयार करने का आश्वासन दिया गया परन्तु मौके पर प[illegible]के अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया है। अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स [illegible] संख्या 1 से 3 के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से हुए बाहामी ब[illegible]डे के अनुसार बंटवाडा नही किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त में

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

भारी भिन्नता हैं। जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणीयां, बाडे आदि उतरदाता संख्या 1 से 3 के कब्जे चले गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं।

5. अपीलांट्स के अधिवक्ता ने यह भी प्रकट किया कि इस विभाजन के नक्शे का ज्ञान अपीलांट्स को पूर्व में नहीं हुआ था तथा वर्तमान में अपीलांट्स एवं उतरदाता संख्या 1 व 2 द्वारा संयुक्त रूप से रखा गया रास्ता खसरा नंबर 142 पर डामर सड़क का निर्माण कार्य करने हेतु मौके पर भूमि का विवाद होने से मौके की जांच राजस्व कर्मचारीयो से करवाई तब पक्षकारान के मौके पर कब्जा काश्त व चल रहे रास्ते के अनुसार बंटवाडा नही हुआ है। जिस पर अपीलांट्स को अपना हक हिस्सा संशयप्रद लगा तब अपीलांट्स ने गलत तरीके से करवाये गये सहमति विभाजन प्रति दिनांक 07.08.2025 को प्राप्त की तथा अपीलांट्स को सर्वप्रथम इस गलत विभाजन की जानकारी हुई। अपीलांट्स ने जानकारी होने से सम्यक तत्परता के साथ यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की हैं फिर भी सद्भाविक एवं अज्ञानता वश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र पेश हैं।

6. रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि ग्राम किफायत नगर पटवार क्षेत्र भोजारिया तहसील चौहटन के खसरा नंबर 142 कुल रकबा 275–06 बीघा भूमि खातेदारान ने दिनांक 07.01.2020 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी भोजारिया द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। जिस पर तहसीलदार चौहटन द्वारा पक्षकारो के सहमति के आधार पर विभाजन आदेश पारित किया गया है। रेस्पों के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष 131–136 तरमीम शुद्धि का आवेदन पेश किया गया [illegible] माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। इसके संबंध में अपीलांट द्वारा [illegible] प्रार्थना–पत्र में इसका कोई हवाला नहीं दिया गया। अपीलांट्स [illegible] इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं।

7. हमने अधिवक्ता अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1 व 3 द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा किफायत नगर के खसरा नंबर 142 कुल रकबा 275–06 बीघा भूमि के खातेदारान मदरसा इस्लामिया मिक्ताहुल उलूम रहमानी नगर शिक्षण संस्थान भोजारिया जरिये अध्यक्ष फारूक पुत्र ईस्माईल कौम मुसलमान सा. भोजारिया, सरादीन इस्माईल पि. भीखाखान, अयूब खान हनीफखान पि. बच्चूखान, धाई पत्नी बच्चू खान, कौम मुसलमान सा.देह खातेदारान ने दिनांक 07.01.2020 को तहसीलदार चौहटन के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर संयुक्त खातेदारी भूमि का आपसी सहमति से प्रस्तावित विभाजन को स्वीकृत कर राजस्व अभिलेख में इन्द्राज का आदेश जारी करने का निवेदन किया। हल्का पटवारी भोजारिया द्वारा उक्त विभाजन प्रस्ताव पर रिपोर्ट में अंकित किया कि उपरोक्त कृषि भूमि के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। अपीलांट्स ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.08.2025 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधिवक्ता अपीलांट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश में अपीलांट्स व उतरदाता संख्या 1 से 3 के मध्य पूर्व में आपसी सहमति से हुए बाहामी बंटवाडे के अनुसार बंटवाडा नहीं किया गया है तथा नक्शा ट्रेस की तरमीम व मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त में भारी भिन्नता हैं। जिसके कारण अपीलांट्स की ढाणीयां, बाडे आदि उतरदाता संख्या 1 से 3 के कब्जे चले गये है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट्स संख्या 01 से 03 के अधिवक्ता ने प्रकट किया कि उपरोक्त कृषि जोत के विभाजन का सहमति पत्र खातेदारान द्वारा प्रस्तुत किया गया है, मौके के अनुसार खातेदार उसी अनुसार काबिज है तथा उपरोक्त विभाजन करने के लिए सहमत है तथा लगान का वितरण सही है। अतः सहमति विभाजन प्रस्ताव स्वीकार करना उचित हैं। इस पर अधीनस्थ तहसीलदार चौहटन द्वारा खातेदारों की सहमति अनुसार कृषि भूमि का विभाजन अपीलाधीन आदेश दिनांक 13.01.2020 द्वारा स्वीकृत करते हुए राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करने हेतु हल्का पटवारी को निर्देशित किया गया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश अपीलांट्स

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर, बाड़मेर

स्वंय की सहमति एवं उनकी उपस्थिति में में पारित हुआ हैं। इसके साथ ही अपीलांट द्वारा न्यायालय सहायक कलक्टर उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष 131–136 तरमीम शुद्धि का आवेदन पेश किया गया जो माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। अपीलांट को इस आदेश की आरम्भ से ही जानकारी थी तथा अब रेस्पोडेंट के कब्जे–काश्त की भूमि को हड़पने की नियत से यह अपील सारहीन एवं आधारहीन तथ्यों के साथ मयाद बाहर प्रस्तुत की हैं जो खारिज योग्य हैं। अधिवक्ता पक्षकारान एवं अधिनस्थ न्यायालय के अवलोकन से पाया जाता है कि अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा उल्लेखित कारण संतोषप्रद नही होने से एवं अपील के आधार मनगढत प्रस्तुत करने से वह किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं। अपीलांट्स द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपनी खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु प्रस्तुत एग्रीमेंट स्वीकार किया है ऐसे में सहमति से भूमि विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध 5 वर्ष से अधिक समयावधि बाद प्रस्तुत अपील सारहीन व आधारहीन होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज योग्य है।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ ही मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 11.02.2026 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला मजिस्ट्रेट, बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2026.03.07 12:17:16 IST
Reason: SelfAttested